भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1758

01 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

तपोवन-विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना

1758. श्री सुखदेव भगत:

डॉ. अमर सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की तपोवन-विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया है;

(ख) उक्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से सरकारी बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने परियोजना को मंजूरी देने से पूर्व कोई भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भू-तकनीकी अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : तपोवन विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना (520 मेगावाट) के विकास के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से कोई परियोजना विशिष्ट ऋण नहीं लिया गया। इस परियोजना को बैलेंस शीट वित्तपोषण मोड के तहत एनटीपीसी के ऋण के सामान्य पूल के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है**,** जिसमें एनटीपीसी ने निम्नलिखित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण की व्यवस्था की है:

क्रम संख्या	बैंक का नाम	क्षेत्र
1.	ऐक्सिस बैंक	निजी
2.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	
3.	आईसीआईसीआई बैंक	
4.	जम्मू और कश्मीर बैंक	
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	सार्वजनिक
6.	बैंक ऑफ इंडिया	
7.	पंजाब नेशनल बैंक	
8.	भारतीय स्टेट बैंक	
9.	यूको बैंक	
10.	यूनियन बैंक	

(ग) : तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) के विकास के लिए उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच दिनांक 31.12.2002 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)**,** केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस) के परामर्श से दिनांक 11.08.2004 को तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्रदान की। सहमति प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, एनटीपीसी ने भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भू-तकनीकी जांच जैसे बोरहोल ड्रिलिंग, एक्सप्लोरेटरी ड्रिफ्टिंग, पेट्रोग्राफिक अध्ययन प्लेट लोड परीक्षण और स्व-स्थाने तनाव परीक्षण आदि किए हैं। परियोजना के निवेश की मंजूरी एनटीपीसी बोर्ड द्वारा दिनांक 16.11.2006 को दी गई थी।
